माननीय सुश्री हिमा कोहली, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की अध्यक्षता में 30 अगस्त, 2020 को दोपहर 12.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग(Cisco Webex) के माध्यम से हुई बैठक के कार्यवृत्त

बैठक में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्चाधिकार समिति के निम्नलिखित अधिकारियों/सदस्यों ने भाग लियाः

1. श्री बी.एस.भल्ला, प्रमुख सचिव, (गृह)/अतिरिक्त मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार............. **सदस्य**
2. श्री संदीप गोयल, महानिदेशक (जेल), दिल्ली....................**सदस्य।**
3. श्री कंवलजीत अरोड़ा, सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DSLSA)

एजेंडाः भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Suo Motu Petition (Civil) No. 1/2020– *In Re: Contagion of COVID-19दिनांक 23.03.2020 और 13.04.2020*में जारी किए गए निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन

आइटम न. 1:पहले अपनाए गए निर्णयों के आधार पर कैदियों की सुरक्षा, स्क्रीनिंग, पहचान, एवं कैदियों तथा जेल स्टॉफ के उपचार का जायजा

आरंभ में**श्री संदीप गोयल, महानिदेशक (जेल)** ने समिति को सूचित किया कि अंतिम सप्ताह में पूरे देश और विशेषकर दिल्ली में **कोविड–19(नोवेल कोरोना वायरस) के** पॉजिटिव केसों में **पर्याप्त वृद्धि** देखी गई है। उन्होने अध्यक्ष को सूचित किया कि जेल प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों के पुख्ता प्रयासोंतथा समिति की पहले की बैठकों में लिए गए **निर्णयों और दिशा निर्देशों तथा हिदायतों**का गहनता से पालन करकेवे **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस) के** सक्रिय केसोंको नीचे लाने की स्थिति में हैं।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को सूचित किया कि **दिनांक 28.08.2020**तक का **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस) के** सक्रिय केसों का संचयी डाटा इस प्रकार हैः

जेल में बंद **कैदी** : **65** (**61** ठीक हुए, **02** की मृत्यु, **02** सक्रिय मामले)

जेल**स्टॉफः** **175** (**168** ठीक हुए,**07** सक्रिय मामले)

पूछे जाने पर महानिदेशक (जेल) ने समिति को सूचित किया कि दोनो जेल के कैदी जो कि **कोविड–19**पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें **लक्षण नही** है उन्होने सूचित किया कि उनमें से एक कोजेल परिसर में अलग से एकांत में रखा गया है, वहीं अन्य को G.T.B.अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ हो रहा हैं।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को सूचित किया कि दिनांक **20.06.2020** की बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर जेल प्रशासन 55 वर्ष से अधिक उम्र के कैदियों के संबंध में अधिक सावधानी बरत रहा है जिससे वे **प्रतिरक्षा में अक्षम** न हो पाएं। महानिदेशक (जेल) ने समिति को आश्वासन दिया कि वे इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही जारी रखेंगे।

समिति के सदस्यों ने जेल परिसर में **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के प्रसार को रोकने के लिए आगे उठाए जाने वाले संभावित कदमों के विषय में विचार विमर्श किया। यह विचार किया गया कि **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस**) जेल परिसर में केवल निम्नलिखित के द्वारा प्रवेश कर सकता हैः

(क) नए प्रवेशकों

(ख) जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ, मेडिकल स्टॉफ

(ग) जेल परिसर में राशन या अन्य आवश्यक वस्तुएं देने के लिए जेल परिसर में प्रवेश करने वालों के माध्यम से।

जेल स्टॉफ के लिए एहतियाती उपाय इत्यादि

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर वे जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ एवं अन्य का ICMR के दिशा निर्देशों के आधार पर **रैपिड टेस्ट कर रहें हैं।** उन्होने सूचित किया कि जेल परिसर में प्रवेश करने से पूर्व जेल स्टॉफ की **थर्मल स्क्रीनिंग** की जाती है। उन्होनेआगे सूचित किया किउन्होने जेल स्टॉफ को आगाह किया है वे आपस में बातचीत करनेके साथ –2 कैदियों से बात करते समय **पीपीई किट, मास्क** पहने और **सामाजिक दूरी** का पालन करें। अध्यक्ष ने महानिदेशक (जेल) को सुझाव दिया कि स्टॉफ दो परत सुरक्षा का प्रयोग करें। मास्क के अतिरिक्त वे वाइसर(visor) का भी प्रयोग करना आरंभ करें। महानिदेशक (जेल) ने इसका अनुपालन करने का आश्वासन दिया।

उन्होने कहा कि आज तक **175 जेल स्टॉफ** कोविड पॉजिटिव पाया गया था। जिसमें से **168** पहले ही ठीक हों चुकें है। उन्होने अध्यक्ष को अवगत करवाया कि वर्तमान में जेल स्टॉफ के केवल **07** सक्रिय केस है जो कि घर में एकांत में हैं।

महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया किजब भी कोई जेल स्टॉफ **कोविड–19 पॉजिटिव** पाया जाता है उन्हें उनकी डयूटी से छुट्टी दे दी जाती है और उन्हें घर में एकांत में रहने के लिए कहा जाता है। महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि इस प्रकार के सब केसों की contact tracing की जा रही है और वे सब जो इन जेल स्टॉफ के contact में आए थे उन सब को medically screened और टेस्ट कर लिया गया था।महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि उन्होने जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ एवं अन्य का कैदियों से संपर्क कम कर दिया है जिससे के जेल परिसर के अंदर **कोविड–19** के प्रसार को रोका जा सके।

नए प्रवेशकों के लिए उठाए गए एहतियाती उपाय

समिति के सदस्यों ने विचार विमर्श के पश्चात पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों को दोहराया कि **नए प्रवेशकों** को **अलगाव वार्ड** में रखना चाहिए जिससे कि वे पहले से ही जेल के अंदर बंद कैदियों से **घुलने मिलने** से रोका जा सके।

समिति की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि तिहाड़ के जेल न. 1, जेल न.2, जेल न. 4, जेल न.7 और जेल न. 8/9मंडोली की जेल न. 15 जिसमें **248** व्यक्तिगत सेल (संलग्न शौचालयों के साथ) हैं, को **अलगाववार्ड** के रूप में 21 वर्ष से अधिक आयु के नए पुरूष कैदियों के लिए बनाया जाए और तिहाड़ की जेल न. 5 को 18–21 वर्ष के बीच की आयु वाले नए कैदियों के लिए अलगाव वार्ड के रूप में बनाया जाए। वहीं नई महिला कैदियों के लिए तिहाड़ की जेल न. 06 को में **अलगाव वार्ड** के रूप में बनाया जाए।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि **अलगाव वार्ड**अब पूरी तरह से भर गए हैं, पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से मंडोली जेल के साथ ही स्थितपुलिस क्वार्टरों के आबंटन की मांग की जाए जिससे कि उक्त फ्लैटों को **अस्थाई जेल** के रूप में परिवर्तित किया जा सके और 21 वर्ष से अधिक आयु के **नए प्रवेशकों** को रखने के लिए **अलगाव वार्ड** के रूप में प्रयोग किया जा सके जहां उन्हें 14 दिन की आरंभिक अवधि के लिए रखा जा सके।

<u>अस्थायी जेल</u>

प्रधान सचिव (गृह) के साथ –2 महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि उन्होने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से **12 टावर**के आबंटन के लिए **पुख्ता प्रयास** किए हैं जिसमें प्रत्येक टावर में **30 फ्लैट** हैं। प्रधान सचिव (गृह) समिति को सूचित किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्लीकी **अधिसूचना न. 9/70/2020/HG/2427-2441 दिनांक 31.07.2020**के द्वारा **कोविड–19** महामारी को दृष्टि में रखते हुए अगले आदेश तक मंडोली जेल के साथ ही स्थितपुलिस क्वार्टरों को **अस्थायी जेल** घोषित कर दिया है।

अध्यक्ष को अवगत करवाया गया कि <u>पुलिस आवासीय परिसर,</u> मंडोली में **12 टावर** हैं जिसमें से प्रत्येक में **30 फ्लैट** हैं। महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि अभी दो टावरों, जो कि **डी ब्लॉक और ई ब्लॉक** है, को **अस्थायी जेल** के रूप में प्रयोग किया जा रहा है जबकि बाकि टावरों में अभी सिविल कार्य चल रहा है जिससे कि उन्हें भी **अस्थायी जेल** के रूप में प्रयोग किया जा सके। महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि दिनांक 28.08.2020 तक **अस्थायी जेल** के इन दो टावरों में **70 कैदियों** को रखा गया है और एक बार ये सभी टावर पूर्णतः क्रियाशील हो जाएं तो अस्थायी जेल के इन टावरों में लगभग **2000** कैदियों को रख सकतें हैं।महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि इस **अस्थायी जेल** को **नए प्रवेशकों** के लिए प्रयोग किया जा सकेगा इसमें अंतरिम जमानत/पैरोल की 14 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात आत्मसमर्पण करने वाले कैदी भी सम्मिलित हैं, जिससे कि वे पहले से ही बंद कैदियों के संपर्क में न आ सके।

महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि दिल्ली पुलिस ने अस्थायी जेल की सुरक्षा के लिए **75 पुलिस कर्मी और त्रिपुरा रिजर्व पुलिस की वन आर्म्ड कंपनी** प्रदान की है।

महानिदेशक (जेल)से यह सूचना प्राप्त करने के पश्चात समिति की रॉय है कि **नए प्रवेशकों** को **अलगाव वार्डो** में रखने की समस्याबहुत हद तक हल हो जाएगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि पहले लिए गए निर्णयानुसार नए पुरूष कैदी जिनकी आयु 18 से 21 वर्ष के बीच है और नई महिला कैदियों को तिहाड़ की जेल न. 5 और 6 में क्रमशः अलग **अलगाव वार्ड** में रखा जाएगा।

<u>जेल अस्पताल</u>

अध्यक्ष ने जेल अस्पताल में **आक्सीजन से सबंधित मशीनों**के प्रयोग के साथ –2 कैदियों के **रेपिड एंटीजन टेस्ट** संबंधमें पूछताछ की।महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि उन्होने **आक्सीजन से सबंधित04 मशीने** खरीदी थी उसके पश्चात दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने **आक्सीजन से सबंधित 15 मशीनों** की आपूर्ति की। अतएव तिहाड़, मंडोली औरा रोहिणी जेल परिसर के अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में **आक्सीजन से सबंधित मशीने** उपलब्ध हैं। महानिदेशक (जेल) नेसूचित किया कि ICMR के दिशा निर्देशों के अनुसार कैदियों के **रेपिड एंटीजन टेस्ट** किए जा रहें हैं।महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि जेल अस्पतालों में उचित संख्या में **आक्सीमीटर** और **ऑक्सीजन सिलेंडर** के साथ–2 **आवश्यक दवाइयों और उपकरणों** की नियमित रूप से आपूर्ति हो रही हैं।

<u>अन्य एहतियाती उपाय</u>

महानिदेशक (जेल) नेअध्यक्ष को आगे उपायों के बारे में अवगत कराया कि **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के प्रकोप को रोकने के लिए जेल स्टॉफ, कैदी, जेल कर्मचारी और अन्य व्यक्ति आवश्यक सावधानी बरत रहें हैं और **सामाजिक दूरी** के सिद्धांत का **गहनतापूर्वक** पालन कर रहें हैं। उन्होने अध्यक्ष को इस बात से भी अवगत कराया कि स्नान क्षेत्र, रसोई क्षेत्र, जेल टेलीफोन क्षेत्र को नियमित रूप से साफ और कीटाणुनाशक के द्वारा उचित रूप से सेनेटाइज किया जा रहा है। उन्होने आगे बताया कि जेलों में स्थापित **"पब्लिक एड्रेस सिस्टम"** के माध्यम से कैदियों को आवश्यक सावधानियों के बारे में सूचित किया जाता है कि उन्हें "क्या करना चाहिए क्या नही"।

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि जेल स्टॉफ और कैदियों की जेल डॉक्टरों के द्वारा नियमित चिकित्सीय जांच की जा रही है और यदि डॉक्टर के द्वारा किसी को सलाह दी गई है तो वह तुरंत जेल अधीक्षक को सूचित करे और यदि वे किसी कैदी में **कोविड–19 (नोवेल करोना वायरस)** के लक्षण पाते है या किसी पर संदेह करतें है तो उसे ICMRस्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी सलाह/दिशानिर्देश के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। उन्होने अध्यक्ष को आगे सूचित किया कि जेलों में स्वच्छ सकारात्मक व्यवहार के अभ्यास, प्रचार और प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहें हैं।

महानिदेशक (जेल) ने बताया कि उपरोक्त के अतिरिक्त उन्होने **कोविड–19 (कोरोना वायरस)** के खतरे से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जैसेः

(ए) सभी बाहरी एजिसियों जिनमें गैर सरकारी संगठन भी सम्मिलित हैं, के **दौरा करने पर रोक**।

(बी) **कैदियों के** वार्ड से बाहर **घूमने फिरने पर रोक।**

(सी) कैदियों को रखने वाले क्षेत्रों को और स्टॉफ के आवासीय परिसर को **नियमित रूप से साफ और कीटाणुरहित** रखना।

(डी) सभी **नए कैदियों** को जेल में बंद करने से पहले सीपीआरओ में **पूर्व जांच** की जाती है।

(ई) व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट, मास्क, दस्ताने, अल्कोहल युक्त हैंड रब और साबुन की **खरीद और वितरण।**

(एफ) सभी जेलों में **संदिग्ध कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के ***"Contact Tracing"*** के लिए **स्पेशल टास्क फोर्स** का गठन।

(जी) नए भर्ती कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए **मनोवैज्ञानिक स्क्रीनिंग।**

(एच) रसोई/कैंटीन में कर्मियों द्वारा **रसोई की स्वच्छता** और सब्जियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं का उचित प्रकार से प्रयोग **पर बल।**

महानिदेशक (जेल) ने **आश्वासन** दिया कि जेल प्रशासन इन निर्णयों और सावधानियों का पालन करता रहेगा ताकि जेल परिसर में **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के प्रकोप को रोका जा सके।

समिति महानिदेशक (जेल) के द्वारा उठाए जा रहे कदमों से **संतुष्ट** है और उन्हें ऐसा निरंतर करते रहने का निर्देश दिया।

आइटम न. 2:जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री और मेडिकल स्टॉफ की स्क्रीनिंग के विषय में उठाए गए कदम

जेल परिसर में**कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** का प्रवेश जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ, मेडिकल स्टॉफ और अन्य और उनके माध्यम से होने की संभावना पर विचार करते हुए कैदियों में उसके प्रसार को रोकने के लिए समिति के द्वारा अतिरिक्त उपायों पर विचार–विमर्श किया गया।

अध्यक्ष के द्वारा पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के पालन के संबंध में पूछे जाने पर महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि वे उन निर्देशों का सख्ती से पालन कर रहें हैं और जेल स्टॉफ और अन्य के माध्यम से **कोविड–19 (कोरोना वायरस)** कैदियों तक पहुंचने के खतरे से निपटने के लिए उन्होने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है।

महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि समिति के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर उन्होने ICMR के दिशा निर्देशों के अनुसार **उपरोक्त निर्दिष्ट जेल स्टॉफ** के लिए **रेपिड टेस्ट** का आयोजन किया और आवश्यकतानुसार जेल स्टॉफ का टेस्ट आरंभ कर दिया गया है।

महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया किजेल स्टॉफके लिए**मास्क पहनना** अनिवार्य है और कैदियों से बातचीत करते समय **सामाजिक दूरी बनाए रखने** के लिए आगाह किया गया है।

समितिमहानिदेशक (जेल) के द्वारा उठाए जा रहे कदमों से **संतुष्ट** है और उन्हें ऐसा निरंतर करते रहने का निर्देश दिया।तदानुसार यह **हल** किया जाता है।

आइटम नंबर 3:–जेलों में भीड़ कम करने के लिए पहले अपनाए गए मानदंडों के प्रभाव का जायजा

माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के द्वारा दिनांक**23.03.2020** को पारित आदेश के साथ ही उच्चाधिकार **समिति की बैठक दिनांक 28.03.2020, 07.04.2020 18.04.2020 05.05.2020 18.05.2020**, **20.06.2020**और **31.07.2020**को अपनाए गए मानदंडों के आधार पर रिहा किये गए बंदियों का ब्यौरा समिति के समक्ष रखा गया। पहले अपनाए गए मानदंडों के अनुसार रिहा किए गए कैदियों कें अतिरिक्त समिति ने दिल्ली उच्च न्यायालय के केस शीर्षक**W.P. (Criminal) No.779/2020)** के आधार पर**व्यक्तिगत बांड** पर रिहा किये गए विचाराधीन कैदियों का पुनः अवलोकन किया।

समिति ने रिहा किए गए विचाराधीन कैदियों का अवलोकन किया जो इस प्रकार है –

दिनांक **28.08.2020** तक अंतरिम जमानत पर छोड़े गए कैदी	**2942**
माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा W.P.(Criminal) No.779/2020में जमानत आदेशों में किए गए संशोधन के आधार पर रिहा किए गए विचाराधीन कैदी	**310**
आपातकालीन पैरोल पर रिहा किए गए दोषी	**1170**
सजा में प्राप्त छूट से रिहा हुए दोषी	**85**
दिनांक 28.08.2020 तक अंतरिम जमानत/ पैरोल/ सजा में प्राप्त छूट से रिहा हुए कुल विचाराधीन कैदी /दोषी	**4507**

अंतरिम जमानतः

समिति के सदस्यो ने प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिसमें माननीय उच्च न्यायालय केआदेश सं.**418/RG/DHC/2020 दिनांक 27.08.2020सहित**दिल्ली उच्च न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालयों में कामकाज को आशिंक रूप से शुरू करने के संबंध में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह फैसला लिया है किविचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत प्रदान करने की सिफारिशों को और **अधिक लचीला नही बनाना** है।

हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि इस समिति द्वारा अपनी पहले की बैठकों में अपनाए गए मानदंडों में आने वाले सभी विचाराधीन कैदी 45 दिन की अवधि के लिए अंतरिम जमानत की मांग के लिए डीएसएलएसए के **पैनल अधिवक्ताओं या निजी अधिवक्ताओं** के द्वारा अपना आवेदन 30 सितम्बर, 2020 तक प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं। उपरोक्त श्रेणी में आने वाले विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत पर, **जेल अधीक्षक** को ओर से उसके कस्टडी अवधि के दौरान **अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र** प्राप्त होने के पश्चात ही, विचार किया जाएगा।

अध्यक्ष ने डीएसएलएसए के सदस्य सचिव, कंवलजीत अरोड़ा को निर्देश दिया कि वे जिला न्यायाधीशों से अनुरोध करें कि वे सभी न्यायिक अधिकारियों को अवगत करायें कि यदि विचाराधीन कैदी उपरोक्त मानदंडो के साथ –2 पहले अपनाए गए मानदंडों के अंतर्गत आता है और कोर्ट उससे **संतुष्ट है** और जिन्हें छोड़ा जाना है तो उसे अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। जेल अधीक्षक के संतुष्ट होने पर उसे **व्यक्तिगत बांड** पर भी छोड़ा जा सकता है जिससे सरकार की **सामाजिक दूरी की नीति** का भी पालन किया जाए।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस समिति द्वारा दिनांक 28.03.2020,07.04.2020,18.4.202005.052020,18.05.2020,20.06.2020एवं 31.07.2020की बैठक में अपनाए गए मानदंड विचाराधीन कैदियों को **अंतरिम जमानत** पर छोड़ने का निर्णय और आज यहां अपनाई गई योजना अन्य विचाराधीन कैदियों के अधिकारों को **प्रभावित नही** करेगी। जो विचाराधीन कैदी **इन श्रेणियों में नही आतें हैं** वे संबंधित न्यायालयों में अंतरिम/नियमित जमानत के लिए विनती कर सकतें है। ऐसे विचाराधीन कैदियों द्वारा आवेदन दाखिल करने पर संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार मेरिट पर इस पर विचार कर सकतें हैं।

सजा कीछूट :

अध्यक्ष के द्वारा पूछे जाने पर महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि**दिनांक 28.03.2020** कीउच्चाधिकार समिति की सिफारिशों के आधार पर माननीय उपराज्यपाल ने **आदेश सं. F.9/63/2020**

दिनांक 07.04.2020 के द्वारा **पात्र दोषियों को सजा की छूट** प्रदान की है। उन्होने आगे सूचित किया कि उक्त कार्यालय आदेश के अनुसार **72दोषियों** को सजा की छूट पर छोड़ा गया है।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को आगे सूचित किया कि माननीय उपराज्यपाल के आदेश सं. F.9/63/2020/HG/2184 दिनांक 21.07.2020 में **दोषियों के छूट के लाभ देने का निर्देश** दिया गया है। जो कि **30 सितम्बर, 2020** तक इसके लिए पात्र हो जाएगे। महानिदेशक (जेल) ने बताया कि इस नए आदेश के आधार पर आज तक **13 दोषियों** को इसका लाभ मिला है और उन्हें रिहा किया जा चुका है। इस प्रकार आज तक **85 दोषियों** को इस **छूट** का लाभ दिया जा चुका हैं।

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि इस नए आदेश के आधार पर **30 सितम्बर, 2020** तक **20 और अधिक कैदी** इससे लाभान्वित होंगे और उन्हें रिहा किया जा सकता है।

अध्यक्ष ने पूर्व की बैठकों में अपनाए गए निर्णयों का पालन और किए गए प्रयासों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, जेल प्रशासन और डीएसएलएसए की **सराहना** की।

आइटम नंबर 4ः–दिनांक 31.07.2020 कीबैठक मेंलिए गए निर्णय के आधार पर विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत बढ़ाने के संबंध में जायजा

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव कंवलजीत अरोड़ा, ने समिति को सूचित किया कि दिनांक **31.07.2020** की बैठक में दिए गए निर्देशानुसार उन्होने **दिनांक 01.08.2020** को माननीय रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली उच्च न्यायालय को पत्र लिखा था।

उक्त पत्र के आधार पर माननीय विशेष पीठ ने ***Writ Petition (Civil) Number 3080/2020,*** titled ***"Court on its own Motion Vs. Govt. of NCT of Delhi & Anr."*****दिनांक 04.08.2020** के आदेश में जिन **2901** विचाराधीन कैदियों की **अंतरिम जमानत** को आगे बढ़ा दिया गया था उनकी **अंतरिम जमानत** को उनकी पूर्व अंतरिम जमानत समाप्त होने की तारीख से **45 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है**।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को सूचित किया कि **अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाए** जाने के साथ –2 समिति के दिनांक 31.07.020 में अभिलिखित मानदंडों के आधार पर विचाराधीन कैदियों (जिसमें **2942** विचाराधीन कैदी सम्मिलित है)को प्रदान की गई अंतरिम जमानत की अवधि **21 सितम्बर, 2020** से समाप्त होने जा रही है।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को सूचित किया कि महामारी की स्थिति अभी भी वैसी ही है, जैसी वो पहले थी जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उच्चाधिकार समिति का गठन

किया गया था, अतः यह एक **खतरनाक प्रस्ताव** होगा यदि से **2942 विचाराधीन कैदी**, जिन्हें **45 दिनों** की **अंतरिम जमानत** प्रदान की गई थी, वे आत्मसमर्पण के पश्चात वापिस आतें हैं।

महानिदेशक (जेल) ने प्रस्तावित किया कि इसको दृष्टि में रखते हुए इन **2942 विचाराधीन कैदियों** की **अंतरिम जमानत** की अवधि बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। इस संबंध मेंमहानिदेशक (जेल) का दिनांक 28.08.2020का पत्र भी समिति के संज्ञान में लाया गया।

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव कंवलजीत अरोड़ा, ने समिति को आगे अवगत कराया कि माननीय मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जिस **विशेष पीठ** का गठन किया गया था जिस के **दिनांक 04.08.2020** आदेश के द्वारा अंतरिम जमानत को पहले बढ़ाया गया था वही अब **दिनांक 14.09.2020 के लिए सूचीबद्ध किया है।**

समिति ने की गई प्रार्थना पर विचार विमर्श किया और उच्च न्यायालय ओर अधीनस्थ न्यायालयों में आंशिक बहाली पर विचार किया।समिति ने पिछले 6 दिनो में दिल्ली में **कोविड–19** पाजिटिव के नए केसों में अचानक आए उछाल पर भी विचार किया जो कि इस प्रकार है।

दिल्ली में कोविड –19 का डाटा		
क्रम सं.	**तिथि**	**नए पॉजीटिव केसों की संख्या**
1.	22.08.2020	1412
2.	23.08.2020	1450
3.	24.08.2020	1061
4.	25.08.2020	1544
5.	26.08.2020	1693
6.	27.08.2020	1840

वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए समिति की यह राय है कि अभी कोई निशचित नही है कि महामारी का खतरा कब खत्म होगा और **सामाजिक दूरी** की आवश्यकता नही रह जाएगी। वर्तमान में यह भी स्पष्ट नही है कि न्यायालय की सामान्य कार्यप्रणाली कब से पुनः आरंभ होगी। अतएव समिति की यह राय है कि जिन **2942 विचाराधीन कैदियों** को अंतरिम जमानत प्रदान की गई है। उनकी अंतरिम जमानत कीतिथि समाप्त होने से पूर्व उनकी संबंधित तिथि से **45 दिनों** के लिए और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

समिति की राय है कि इस संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से एक न्यायिक आदेश की आवश्यकता होगी और तदानुसार **सिफारिश** की जाएगी। सह स्पष्ट किया जाता है कि ये **2942**

विचाराधीन कैदी जिनकी सिफारिश की गई है वे हैं जो कि समिति की पिछली बैठकों में अभिलिखित मानदंडों में से किसी एक में आतें हैं इस तथ्य के बावजूद कि अंतरिम जमानत के लिए आवेदन उनके द्वारा अथवा उनकी ओर से किसी **निजी अधिवक्ता** अथवा डीएसएलएसए के पैनल अधिवक्ता के द्वारा दायर किया गया था।

सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण को यह निर्देश दिया जाता है कि समिति की इन **सिफारिशों को** इन कार्यवृत्त (Minutes) की प्रतिलिपि के रूप में माननीय रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

इस समिति की सिफारिशों के आधार पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा इस तरह के किसी भी आदेश के पारित होने की स्थिति में यह स्पष्ट किया जाता है कि जेल प्रशासन ऐसे विचाराधीन कैदी को टेलीफोन के द्वारा उनके पहली **अंतरिम जमानत** की अवधि के समाप्त होने से पूर्व आगे की 45 दिन की अवधि के लिए **सूचित करेगा।** महानिदेशक (जेल) ने **आश्वासन** दिया कि जेल प्रशासन आवश्यक कार्यवाही करेगा और विचारधीन कैदियों को उनके आत्मसमर्पण की सही तारीख के बारे में सूचित करेगा।

<u>आइटम नंबर 5:– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के द्वारा दोषियों को प्रदान की गई आपातकालीन पैरोल को आगे 8 सप्ताह के लिए बढ़ाने के संबंध में फीडबैक</u>

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि समिति के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली ने दोषियों को 8 सप्ताह के लिए **आपातकालीन पैरोल**प्रदान की थी। जो कि बाद मेंराष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के गृह विभाग के आदेश के द्वारा समय समय पर बढ़ाई गई थी।उन्होने आगे सूचित किया कि इस पास आदेश के आधार पर **1168दोषियों** को **आपातकालीन पैरोल**पर रिहा किया गया था और **आपातकालीन पैरोल**की अवधि 30.09.2020 को या उससे पहले समाप्त होने जा रही है।

समिति ने इसकी पहले की बैठकों में अपनाए गए निर्णयों का अनुपालन करते हुए और दिल्ली में महामारी की वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुएमहानिदेशक (जेल) को, उन दोषियों को जिन्हे आपातकालीन पैरोल पर रिहा किया गया था और उनकी **आपातकालीन पैरोल**की अवधि **30.09.2020 को या उससे पहले** समाप्त होने जा रही है। उन दोषियों को पहले से ही प्रदान की गई **आपातकालीन पैरोल को बढ़ाने के लिए** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से **अपेक्षित अनुरोध** निर्देश दिया गया था।महानिदेशक (जेल) को उन दोषियों को प्रदान की गई **आपातकालीन पैरोल** की अवधि आगे बढ़ाने की मांग करने के लिए निर्देशित किया था जिससे कि दोषियों को **4 सप्ताह** के लिए अधिक छूट दी जा सके।

महानिदेशक (जेल) ने प्रस्तुत किया कि इस बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए और दिल्ली की जेलों में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए और इस समिति के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर उन्होने **पत्रांक 10(003598848/CJ/Legal/ PHQ/2020/43027** दिनांक **24.08.2020 को आपातकालीन पैरोलकी अवधि आगे बढ़ाने की मांग करते हुए** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के विशेष सचिव को पत्र लिखा है।जिससे कि दोषियों को **4 सप्ताह** के लिए अधिक छूट दी जा सके।

श्रीबी.एस.भल्ला, प्रधान सचिव,(गृह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली समिति के संज्ञान में **F.No.18/191/2015- HG/2673-79 दिनांक26.08.2020** का आदेश लाएजिसमें महानिदेशक (जेल) के पत्र और समिति के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर सभी दोषियों की **आपातकालीन पैरोल**, जिनकी **आपातकालीन पैरोल**की अवधि **30.09.2020 को या उससे पहले** समाप्त होने जा रही है, को आगे **4 सप्ताह** के लिए बढ़ा दिया गया है।

समिति इस**परिणाम से संतुष्ट**है।

<u>आइटम नंबर 6ः— प्राप्त रिप्रजेंटेशन पर विचार</u>

(ए) डा. उमा चक्रवर्ती एवं अन्य की ओर से दिनांक 17.08.2020 की रिप्रजेंटेशन, जिसमेंसभी महिलाओं, बच्चों और किन्नरों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने के लिए एक वर्ग के रूप में मानना,चाहे वे किसी भी अपराध के आरोपी हो।

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव समिति के संज्ञान में **डा. उमा चक्रवर्ती एवं अन्य** की **दिनांक 17.08.2020 की रिप्रजेंटेशन** लाए।

समिति के सदस्यों ने **रिप्रजेंटेशन** के साथ —2इस समिति को की गई प्रार्थना को ध्यानपूर्वक देखा। आवेदक ने यह सुझाव दिया गयाहै सभी महिलाओं और किन्नरों की सामाजिक स्थिति, संसाधनों ओर उनकी पहुँच पर विचार करते हुए उन्हें **अंतरिम जमानत** पर रिहा करने के लिए उन पर एक वर्ग के रूप में विचार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी प्रार्थना की गई है कि इस महामारी के दौरान जेल में नए महिलाओं और किन्नरों को प्रवेश करने की आज्ञा नही दी जानी चाहिए।

रिप्रजेंटेशन का प्रभावी रूप से निबटारा करने के लिए समिति के सदस्यों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ***<u>Suo Motu Petition(Civil) No. 1/2020 – In Re: Contagion of COVID-</u>***

19 में दिनांक **23.03.2020** के आदेश को ध्यानपूर्वक देखा जिसके अंतर्गत उच्चाधिकार समिति का गठन हुआ था। उसे निम्न प्रकार से पढ़ा गयाः

> *"हम निर्देश देते हैं कि प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशएक उच्चाधिकार समिति का गठन करेगा जिसमें शामिल होंगे (1)राज्य विधिक सेवाएं समिति के अध्यक्ष (2) प्रधान सचिव (गृह/जेल), जो भी पदनाम के रूप में जाना जाता है (3) महानिदेशक (जेल), यह निर्धारित करने के लिए कि किस श्रेणी के कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत पर किस अवधि के लिए रिहा किया जा सकता है, जो कि उचित हो। जैसे कि राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश उन कैदियों को रिहा करने पर विचार करतें हैं जो कि अपराधी या अपराधों के लिए विचाराधीन है, जिनके लिए निर्धारित दंड 7 साल या उससे कम है, दंड के साथ या दंड के बिनाऔर कैदी अधिकतम के स्थान पर न्यूनतम वर्षों के लिए अपराधी ठहराया हुआ है।*
>
> *यह स्पष्ट किया जाता है कि यह हम उच्चाधिकार समिति पर छोड़ देते है कि वह वर्ग/श्रेणीके कैदियों पर विचार करे, कि किसे छोड़ा जाना है जैसा कि ऊपर कहा गया है,* ***<u>अपराध की प्रकृति, सजा के वर्ष, जिसके लिए उसे सजा दी गई है अथवा अपराध की गंभीरता, जिसका उस पर आरोप लगा है और वह मुकदमे का सामना कर रहा/रही है अथवा अन्य कोई उचित कारण जिसे समिति उचित समझती है।</u>****"*

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.3.2020 के आदेश से यह स्पष्ट होता है कि यह **आंकने के लिए उच्चाधिकार समिति को पूर्ण अधिकार है कि कैदियों के किस श्रेणी/वर्ग को अंतरिम जमानत/पैरोल पर छोड़ा जा सकता** है। यह केवल अपराध की गंभीरता पर ही नही बल्कि **अपराध की प्रकृति** और अन्य कोई **संबंधित कारकों** पर निर्भर करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बाद के **दिनांक 13.04.2020** के निर्देश को ध्यानपूर्वक देखने पर यह पता चलता है कि उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों को **अनिवार्य रूप से** कैदियों को उनकी **जेलों से रिहा** किए जाने का निर्देश नही दिया गया है।

इस प्रकार कोई भी कैदी चाहे वह किसी भी वर्ग/श्रेणी का क्यों न हो वह इसमें आता है और उसके अपराध की प्रकृति जो भी है जिसके लिए वह मुकदमें का सामना कर रहा है वह जेल से रिहा होने के लिए अधिकार के रूप में/ उसके वर्ग का सिफारिश में समावेश करने की मांग/दावा नही कर सकता।

इस समिति ने पहले की बैठकों में अपने निर्णय पर पहुंचने के साथ–2 उपरोक्त जमानत पर कैदियों की श्रेणियों को जारी रखने के लिए आज मापदंड तय करने के दौरान, दिल्ली की जेलों की धारण क्षमता, बैठकों की तारीखो तक मौजूद क्षमता और अपराध की प्रकृति जिसके लिए वह जेल में बंद हैं, को ध्यान में रखा था। समिति ने अपराध की प्रकृति के आधार पर कैदियों की श्रेणी/वर्ग, जिसके लिए वे जेल में हैं उन्हें अंतरिम जमानत/पैरोल देने, जैसा भी केस हो, के विषय में विचार विमर्श किया। समिति कुछ विशेष प्रकृति के मामले जैसे विशेष अधिनियम के अंतर्गत आने वाले केसों जैसे कि पोकसो, मकोका, पीसी एक्ट, एनडीपीएस, पीएमएलए, यूएपीए, आतंक से संबंधित मामले, धारा 376 आईपीसी के तहत बलात्कार के मामलों के अतिरिक्त *CBI / ED / NIA /* दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल, अपराध शाखा और एसएफआइओ द्वारा जांचे जा रहे मामलों को भी **अंतरिम जमानत** पर रिहा करने के समिति ने अपराध की प्रकृति के आधार पर कैदियों की श्रेणी/वर्ग, जिसके लिए वे जेल में हैं उन्हें अंतरिम जमानत/पैरोल देने, जैसा भी केस हो, के विषय में विचार विमर्श किया। समिति कुछ विशेष प्रकृति के मामले जैसे विशेष अधिनियम के अंतर्गत आने वाले केसों जैसे कि पोकसो, मकोका, पीसी एक्ट, एनडीपीएस, पीएमएलए, यूएपीए, आतंक से संबंधित मामले, धारा 376 आईपीसी के तहत बलात्कार के मामलों के अतिरिक्त *CBI / ED / NIA /* दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल, अपराध शाखा और एसएफआइओ द्वारा जांचे जा रहे मामलों को भी अंतरिम जमानत पर रिहा करने के **विचार क्षेत्र से बाहर** रखा गया। समिति ने पुनः विचार विमर्श के आधार पर विदेशी नागरिकों को भी **विचार क्षेत्र से बाहर** रखा। समिति द्वारा उक्त निर्णय केवल **संबंधित कारको** पर विचार करने के पश्चात और **उद्देश्य संतुष्टि** पद पहुंचने के आधार पर लिया गया। मानदंड को अपराध के वर्ग/श्रेणी को ध्यान में रखते हुए अपनाया गया था न कि वह एक **विशेष कैदी केंद्रित दृष्टिकोण** था।

इसके अतिरिक्त समिति ने अपनी पहली बैठकों में अपनाए गए विविध मानदंडों में महिलाओं पर एक अलग वर्गके रूप में विचार किया गया है और उसी के अनुसार पुरूष कैदियों की तुलना में उन्हें कुछ शर्तों में ढील दी गई है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करने के उद्देश्य से कैदियों का एक उचित वर्गीकरण करना जिसके आधार पर कुछ कैदियों को रिहा किया जाए सभी कैदियों को नही। उपरोक्त आदेश का पालन **अक्षरतः न करके उसके पीछे छिपी भावना के अनुसार** करना है।

इन सभी को दृष्टि में रखते हुए समिति की यह राय है कि रिप्रजेंटेशन **मेरिट पर नही है तदानुसार अस्वीकृत की जाती है।**

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस समिति द्वारा दिनांक 28.03.2020, 07.04.2020,18.4.2020, 05.05.2020 20.06.2020 एवं 31.07.2020 की बैठक में अपनाए गए मानदंड विचाराधीन कैदियों को **अंतरिम जमानत** पर छोड़ने का निर्णय और आज यहां अपनाई गई योजना अन्य विचाराधीन कैदियों के अधिकारों को प्रभावित नही करेगी। जो विचाराधीन कैदी इन **श्रेणियों में नही** आतें हैं वे संबंधित

न्यायालयों में अंतरिम/नियमित जमानत के लिए विनती कर सकतें है। ऐसे विचाराधीन कैदियों द्वारा आवेदन दाखिल करने पर संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार मेरिट पर इस पर विचार कर सकतें हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी को संबंधित न्यायालय में जमानत की याचिका दायर करने की स्वतंत्रता है जो कि जब भी दायर की जाएगी तो कानून के अनुसार उस पर मेरिट पर विचार किया जाएगा।

(बी) **श्री सार्थक मागून, अधिवक्ता की दिनांक 17.08.2020 की रिप्रजेंटेशन जो कि दिनांक 26.08.2020 को ई–मेल से प्राप्त हुई जिसमें आवेदक ने प्रार्थना की है कि कैदियों को उनके अधिवक्ता और उनके परिवारों से मिलाने के लिए सभी संभव तरीकों से ई मुलाकात आरंभ कर देनी चाहिए।**

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव समिति के संज्ञान में **श्री सार्थक मागून, अधिवक्ता** की **दिनांक 17.08.2020 की रिप्रजेंटेशन**लाए। जो कि**दिनांक 26.08.2020 को ई मेल से प्राप्त हुई** जिसमें आवेदक ने समिति से प्रार्थना की है कि वह जेल प्रशासन को निर्देश दे कि वे कैदियों को उनके अधिवक्ता और उनके परिवारों से मिलाने के लिए सभी संभव तरीकों से **ई–मुलाकात** करवाएं।

समिति के सदस्यों ने आवेदक द्वारा दायर की गई **रिप्रजेंटेशन**को ध्यानपूर्वक देखा। इस महामारी से पूर्व की अवधि के दौरान कैदी अपने अधिवक्ताओं और अपने परिवारों से व्यक्तिगत रूप से मिला करते थे। **कोविड–19** महामारी के कारण जेल परिसर में इसके प्रसार को रोकने के लिए व्यक्तिगत रूप से मिलने पर रोक लगा दी गई थी।

हालांकि समिति की पिछली बैठकों के दौरान महानिदेशक (जेल) को, कैदियों को उनके अधिवक्ताओं और परिवारों से **ई मुलाकात** करवाने के लिए संभावनाओं को तलाशने के, निर्देश दिए गए थे।

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि सभी तीनो जेल परिसरों में विडियो कान्फ्रेसिंग की सुविधा उपलब्ध है और **दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवाएं समिति** के **पैनल अधिवक्ताओं**के साथ विडियो कान्फ्रेसिंग के द्वारा मीटिंग दिनांक **22.06.2020** से और निजी अधिवकताओंसे दिनाक **06.07.2020** से आरंभ कर दी गई थी।

विडियो कान्फ्रेसिंग से **कानूनी मुलाकात** का उपयोग कैदी के द्वारा **सप्ताह में दो बार** किया जा सकता है और प्रत्येक मुलाकात की **अवधि 30 मिनट** की होती है।

कैदी की उनके परिवार से **ई मुलाकातJitsi online VC link** के द्वारा जेल न. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8/9, 11 और 14 से आरंभ कर दी गई है।

आवेदक की रिप्रजेंटेशन **मेरिट** पर पाई गई, महानिदेशक (जेल) को निर्देश दिया जाता है कि वे शीध्र ही बाकी जेलों तक इस सुविधा का विस्तार करेंगे जिससे कि कैदी अपने परिवार के सदस्यों से बात कर सकें।

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि जेल परिसर के अंदर **मोबाइल फोन/स्मार्ट फोन निषेध है** अतः विडियो कॉल के द्वारा केदियों की उनके परिवारों से **ई मुलाकात** का आवेदक का सुझाव **स्वीकार नही किया जा सकता।**

हालांकि अध्यक्ष ने **अनलॉक –4 दिनांक 01.09.2020के आरंभ** को ध्यान में रखते हुए कैदियों की उनके परिवारों से **व्यक्तिगत मुलाकात को फिर से शुरू करने** पर विचार विमर्श किया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अब जीवन सामान्य की तरफ लौट रहा है। इसे चरणबद्ध/श्रेणीबद्ध तरीके खोलने की संभावना पर विचार विमर्श किया गया था।

अध्यक्ष नेमहानिदेशक (जेल) को निर्देश दिया कि व्यक्तिगत मुलाकात को फिर से शुरू करने से पहले आवश्यक सावधानियां बरती जाएं। महानिदेशक (जेल) को **Standard Operating Procedure (SOP)** बनाने कानिर्देश दिया। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि मुलाकात का क्षेत्र ग्लास शील्ड**(glass shields)** के साथ **touch free microphones** होना चाहिए।महानिदेशक (जेल) ने आश्वासन दिया कि वे प्रत्येक दिन की मुलाकात की संख्या निश्चित करेंगे जिससे कि सामाजिक दूरी के सिद्धांत का पालन किया जा सके। उन्होने समिति को पुनः आश्वस्त किया कि मुलाकात क्षेत्र में **भीड़ नही** होगी और उसे **प्रत्येक घंटे के बाद सेनेटाइज** किया जाएगा। महानिदेशक (जेल) ने समिति को आश्वासन दिया कि आंगुतकों से वायरस का प्रसार कैदियों/जेल स्टॉफ तक न हो यह केवल **SOP** में ही वर्णित नही किया जाएगा बल्कि **व्यक्तिगत मुलाकात फिर से आरंभ** करने से पूर्व ही इसका पालन भी किया जाएगा। उन्होने आश्वासन दिया कि यह जल्द ही आंरभ हो जाएगा।

उपरोक्त को दृष्टि में रखते हुए आवेदक की रिप्रजेंटेशन का निपटारा किया जाता है तदानुसार आगे के लिए कोई निर्देश नही हैं।

(सी) श्री सार्थक मागून, अधिवक्ता की दिनांक 17.08.2020 की रिप्रजेंटेशन जो कि दिनांक 27. 08.2020 को ई मेल से प्राप्त हुई जिसमें विडियो कान्फ्रेंसिंग के द्वारा श्योरिटी प्रस्तुत करने के लिए नियमों /आधारभूत संरचना बनाने के लिए कहा गया जिससे कि न्यायालय में जाने से बचा जा सके।

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव समिति के संज्ञान में **श्री सार्थक मागून, अधिवक्ता** की **दिनांक 17.08.2020की रिप्रजेंटेशन**लाए। जो कि**दिनांक 27.08.2020 को ई मेल से प्राप्त हुई**जिसमें आवेदक ने प्रार्थना की है कि विडियो कान्फ्रेंसिंग के द्वारा श्योरिटी प्रस्तुत करने के लिए नियमों /आधारभूत संरचना तैयार की जाए जिससे कि न्यायालय में जाने से बचा जा सके।

समिति के सदस्यों ने **रिप्रजेंटेशन** को ध्यानपूर्वक पढ़ा । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वर्तमान समिति का गठन जेलों में भीड़ कम करने के लिए किया गया था।जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसका गठन किया गया था। इस समिति ने दिनांक 07.04.2020 की बैठक में पाया कि कुछ कैदी महामारी से पूर्व की अवधि में जमानत आदेश पास होने के बावजूद भी विभिन्न न्यायालयों में श्योरिटी बांड प्रस्तुत करने में असफल रहे क्योंकि उस समय कोर्ट का काम काज प्रतिबंधित था।

उक्त बैठक में समिति ने माननीय उच्च न्यायालय के एक आदेश के द्वारा इस प्रकार के के सभी जमानत आदेशों पर समीक्षा/संशोधन की सिफारिश की थी। इस समिति की दिनांक 07.04.2020 की बैठक की सिफारिशों के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने ***Writ Petition (Crl.) 779/2020,*** titled ***"Court on its own Motion Vs. State"दिनांक 09.04. 2020*** के आदेश में इस प्रकार के आदेशों में संशोधित कर दिया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का प्रांसगिक भाग इस प्रकार है –

> ***"इस प्रकार इस अदालत द्वारा अथवा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 7 अप्रैल, 2020 को या उससे पूर्व के सभी जमानत आदेशों का पालन करते हुए, जिसमें विचाराधीन कैदियों को श्योरिटी बांड की शर्त को पूरा कर पाने में असफल होने के कारण रिहा नही किया गया, को संशोधित किया जाता है जिसे इस प्रकार पढ़ा जाएगा,*** महामारी से पूर्व की अवधि में ***जमानत श्योरिटी बांड प्रस्तुत करने की शर्त के स्थान पर इस प्रकार के विचाराधीन कैदियों को जेल अधीक्षक के संतुष्ट होने पर उनके व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करने पर रिहा किया जा सकता है।"***

इस प्रकार इस समिति ने वही किया जिसकी इससे अपेक्षा की गई थी उस लक्ष्य को पूरा करने केलिए लिसके लिए यह गठित की गई थी।

आवेदक के द्वारा दी गई यह रिप्रजेंटेशन साधन और प्रणाली से संबंधित है जिसमें श्योरिटी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना और श्योरिटी और उससे संबंधित दस्तावेजों की वास्तविकता के संबंध में कोर्ट की संतुष्टि से संबंधित है। जो कि इस समिति के दायरे से परे है। अतः इस पर विचार नही किया जा सकता। तदानुसार रिप्रजेंटेशनका **निबटारा किया** जाता है।

आवेदक को स्वतंत्रता है कि वह संबंधित प्राधिकरण जैसे कि माननीय उच्च न्यायालय की न्यायिक/प्रशासनिक पक्ष में संपर्क कर सकता है।

समिति ने कंवलजीत अरोड़ा, सदस्य सचिव, डीएसएलएसए(DSLSA) को निर्देश दिया कि वे उपरोक्त रिप्रजेंटेशन लगाने वाले प्रार्थियों को इस संबंध में उसके परिणाम की समस्त जानकारीप्रदान करें।

आइटम नंबर 7: अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय

(ए) सजा समीक्षा बोर्ड की मीटिंग

अध्यक्ष ने महानिदेशक (जेल) और प्रधान सचिव (गृह) से दिनांक 31.07.2020 की अंतिम बैठक में दिए गए निर्देशों के आधार पर **सजा समीक्षा बोर्ड** की मीटिंग के विषय में पूछा

प्रधान सचिव (गृह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के साथ –2 महानिदेशक (जेल)ने अध्यक्ष को अवगत कराया कि **सजा समीक्षा बोर्ड** की मीटिंग **5 और 6 अगस्त, 2020** को आयोजित की गई थी।महानिदेशक (जेल)ने आगे सूचित किया कि दन दो दिनों में **सजा समीक्षा बोर्ड** के द्वारा 184 दोषियों के मामलों पर विचार किया गया था।उन्होने अध्यक्ष को आगे सूचित किया कि सजा समीक्षा बोर्ड के द्वारा **47 दोषियों** की **पूर्व परिपक्व रिहाई** के लिए सिफारिश की गई है।

प्रधान सचिव (गृह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने सूचित किया कि आज तक इन 47 दोषियों की फाइलविचार हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रदिल्ली के पास लंबित है।

अध्यक्ष ने प्रधान सचिव (गृह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को इनके शीध्र निपटारे के लिए कहा क्योंकियदि अनुमोदित हो तो यह आगे जेलों में भीड़ कम करने का कारण बनेगा। प्रधान सचिव (गृह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने आश्वासन दिया कि वे शीध्र ही आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

बैठक के **कार्यवृत्त का पालन** सभी संबंधितों के द्वारा किया जाएगा।

अध्यक्ष का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्त हुई।

संदीप गोयल महानिदेशक (जेल)	श्री बी.एस. भल्ला प्रधान सचिव (गृह)	कंवलजीत अरोड़ा सदस्य सचिव डीएसएलएसए

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री हिमा कोहली,

कार्यकारी अध्यक्ष,डीएसएलएसए

....

यह सत्यापित किया जाता हैं कि दिनांक 30.08.2020 की बैठक के कार्यवृत्त का हिन्दी अनुवाद मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

हिन्दी अनुवादक
डीएसएलएसए